

कार्यालय नगर पंचायत बनबसा (चम्पावत)**सार्वजनिक सूचना**

02 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 213/प्रेषण-ड्राफ्ट/2018-19-नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-298 की उपधारा-2, खण्ड (झ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के क्रियान्वयन हेतु "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017" बनायी जाती हैं, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपति एवं सुझाव प्राप्त हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017**संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ :-**

1. यह उपविधि नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017" कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ :-

- (i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;
- (ii) "उपविधि" से अभिप्रेत, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है;
- (iii) "नगरपालिका" से अभिप्रेत, संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पंचायत, बनबसा, जिला पंचायत से है;
- (iv) "अधिशासी अधिकारी" से अभिप्रेत, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है;
- (v) "सफाई निरीक्षक" से अभिप्रेत, नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पंचायत के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगर पंचायत बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;
- (vi) "निरीक्षण अधिकारी" का अभिप्रेत, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है;

- (vii) "नियम" से अभिप्रेत, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0-648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम 2000 बनाये गये से है;
- (viii) "अधिनियम" से अभिप्रेत, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है;
- (ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है, सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है। जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों-पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि;
- (x) "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegradable waste)" का अभिप्रेत, ऐसे कूड़ा-कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा, कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है;
- (xi) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन (निर्धारित माइक्रोन के अन्दर), कागज, धातु, रबड़ आदि;
- (xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste)" से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रिया-कलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो;
- (xiii) "संग्रहण (Collection)" से, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है;
- (xiv) "कचरा खाद बनाने (Composting)" एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है;
- (xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and construction waste)" से अभिप्रेत, सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है;
- (xvi) "व्ययन (Disposal)" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है;
- (xvii) "भूमिकरण (Landfilling)" से, भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि मरण पर निपटान, अभिप्रेत है;
- (xviii) "निक्षालितक (Leachate)" से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है;
- (xix) "नगरपालिका प्राधिकारी (Municipal authority)" में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्ध और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है;
- (xx) "स्थानीय प्राधिकारी (Local authority)" का अभिप्रेत, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत हैं;

- (xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal solid waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;
- (xxii) "सुविधा के परिचालक (Operator of facility)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकरण आता है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है;
- (xxiii) "पुनर्चक्रण (Recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है;
- (xxiv) "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनर्चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग-अलग करना अभिप्रेत है;
- (xxv) "भण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थायी रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा-करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके;
- (xxvi) "परिवहन (Transportation)" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है, ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।
4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर, जो नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।
 5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।
 6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें, जो समय-समय पर संशोधित करी जा सकेंगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे।
 7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पंचायत से सम्पर्क कर, पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।
 8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, बागवानी व सभी पेड़-पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगरपालिका से सम्पर्क कर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार-द्वार (door to door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।
10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।
11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला, व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।
12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, मण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।
13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्ज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्ज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।
14. अनुसूची में दी गई दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी।
15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्ज/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।
16. यह कि उपविधि में दिए गए किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक-अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है, तो प्रथम बार ₹ 200.00, दूसरी बार पर ₹ 500.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,000.00 पैनैल्टी देनी होगी।
17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार ₹ 500.00, द्वितीय बार ₹ 1,000.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,500.00 की अर्थदण्ड (penalty) देनी होगी।
18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेवा शुल्क (User charges) की दरें निम्नवत् हैं:-

अनुसूची-1

सेवा शुल्क (User Charges) की दरें

क्र० सं०	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट के प्रकार	जैविक-अजैविक कूड़ा अलग-अलग पहुँचाने पर (₹)	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर (₹)	जैविक, अजैविक कूड़ा घर/स्रोत पर ही अलग- अलग देने पर (₹)	जो व्यक्ति घर/स्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा देने पर (₹)
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	5	10	15	20
2.	मध्यम वर्ग, कम आय वाले घर	10	15	20	25

1	2	3	4	5	6
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	15	20	25	30
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	100	125
5.	रेस्टोरेन्ट	250	500	200	250
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	200	300	300	350
7.	धर्मशाला	20	30	40	50
8.	बारातघर	1,000	1,500	1,000	1,500
9.	बैकरी	150	200	150	200
10.	कार्यालय	50	100	50	75
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100	200	200	200
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	20	25	25	25
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	200	400	200	250
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	100	200	150	200
15.	दुकान	100	200	150	175
16.	फैक्ट्री (उद्योग)	200	400	300	450
17.	वर्कशाप/कबाड़ी	1,000	1,500	500	700
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो	200	500	500	400
20.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	200	400	400	300

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे-भण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा/जुलूस आदि पर उपरोक्त दरें लागू नहीं होगी।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5,000.00 (रु० पाँच हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकारी अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत में निहित होगा।

जयवीर सिंह राठी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत बनबसा,
जनपद-चम्पावत।

अनिल कुमार चन्पाल,
प्रशासक,
नगर पंचायत
बनबसा (चम्पावत)।